433

मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 1998 (चैत्र 6, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, संस्कृति मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगी.

(2) श्री शिव नेताम, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1990-91 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 1991 के लिये पटल पर रखेंगे.

(4) श्री सत्यदेव कटारे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री सोनेराम कुशवाह, फुन्दर चौधरी, सोबरनसिंह मावई, सदस्य, मुरैना जिले में किसानों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, रामलखन सिंह (त्योंथर), ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जबलपुर में विद्यालयीन परीक्षाओं के आयोजन में अव्यवस्था होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मण सिंह गौड, कमल पटेल, सदस्य, इन्दौर में नई उप कलारियां खोले जाने पर महिलाओं द्वारा किये जा रहे विरोध की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री दिलीप भटेरे, कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक बांस डिपों में बांस जलाये जाने की घटना की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, बाबूलाल गौर, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, भोपाल स्थित गैस राहत चिकित्सालय में मरीजों को घटिया स्तर की दवा प्रदाय किये जाने की ओर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के बाबई कृषि प्रक्षेत्र में सब्जी पर बीमारी का प्रकोप होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, बनवारीलाल अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, सागर के समीप ट्रेक्टर ट्राली नाले में गिरने से कई छात्रों की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री कमल पटेल, बनवारीलाल अग्रवाल, बच्चन नायक, सदस्य, बिलासपुर जिले के कोरबा स्थित राखड़ बांध ढहने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के -

(क) ग्राम उमरवाही स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
(ख) ग्राम गोड़लवाही के साल्हेटोला में बिजली लगाये जाने,
(ग) ग्राम खुज्जी व डोंगरगांव के बीच शिवनाथ नदी पर पुल बनाये जाने,
(घ) ग्राम बूचाटोला के टोला एटमेटा में बिजली लगाये जाने,
(ड.) ग्राम पैरीटोला के वार्ड क्रमांक 6 एवं 7 में बिजली लगाये जाने,
(च) ग्राम भण्डारपुर में बिजली लगाये जाने ; तथा
(छ) ग्राम आमाटोला में बिजली लगाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. " सदन का मत है कि प्रदेश के समस्त सुनिश्चित रोजगार के निर्माण कार्यों को विधायक एवं सांसद की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जाय."

(2) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. " सदन का मत है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा कम्पाउण्डर पद के लिये निर्धारित डिप्लोमा इन फार्मेसी की अर्हता समाप्त कर पूर्वानुसार निर्धारित योग्यता ही रखी जाय".

(3) श्री बच्चन नायक, श्री ईश्वरदास रोहाणी तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश की रजक (धोबी) समाज को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाय".

(4) श्री रामविचार नेताम, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. " सदन का मत है कि शासन ग्रामीण क्षेत्रों में मरघट, कब्रिस्तान, रास्ता, गोठानों एवं तालाबों में किये गये अतिक्रमण सख्ती से हटाये."

(5) श्री सुनील जैन तथा श्री कमल पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. " सदन का मत है कि प्रदेश में वर्तमान में चल रहे कत्लखानों (वधगृहों) को बंद किया जाय".

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 26 मार्च, 1998